

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :-3/अ0प्र0-1-372/2012

77

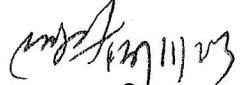
/पटना, दिनांक :- 14.11.23

दरभंगा जिला के अधीन वर्ष-2005-06 एवं वर्ष-2006-07 में विभिन्न विकास योजनाओं के तहत कार्यान्वित योजनाओं का जाँच प्रतिवेदन निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3539.अनु0 दिनांक 12.06.2012 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित विभिन्न योजनाओं में से ग्यासपुर पेट्रोल पम्प से कुमरी गाँव तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य में अनियमितता के लिए श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश संख्या-161-सह-पठित ज्ञापांक-2145 अनु0 दिनांक 04.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 3845 अनु0 दिनांक 20.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में यह उल्लेख किया गया कि निगरानी विभाग से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में ग्यासपुर पेट्रोल पम्प से कुमरी गाँव तक मिट्टी एवं सोलिंग कार्य के संदर्भ में संबंधित उत्तरदायी/दोषी पदाधिकारियों में से श्री इन्द्रदेव कुमार का नाम अंकित नहीं है।
3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि श्री इन्द्रदेव कुमार, कनीय अभियंता दरभंगा जिलान्तर्गत काम के बदले अनाज योजना में गोबरिस्ता से गोदाईपट्टी पहुँच पथ में मिट्टी सोलिंग एवं आर0सी0सी0 कल्मर्ट योजना से संबंधित रहे हैं। तदालोक में श्री कुमार के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढ़ी के विरुद्ध कार्यालय आदेश संख्या-161-सह-पठित ज्ञापांक-2145 अनु0 दिनांक 04.07.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।
5. श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढ़ी के विरुद्ध दरभंगा जिलान्तर्गत काम के बदले अनाज योजना में गोबरिस्ता से गोदाईपट्टी पहुँच पथ में मिट्टी सोलिंग एवं आर0सी0सी0 कल्मर्ट योजना से संबंधित मामले में गठित आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय-समय पर संशोधित) के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढ़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस कार्यालय आदेश की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।


(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-372/2012

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) कार्य दिवस के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा सम्पूर्ण कार्यवाही अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- यथोक्त।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-372/2012

/पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री इन्द्रदेव कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन0आर0ई0पी0, दरभंगा सम्प्रति कनीय अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :- यथोक्त।

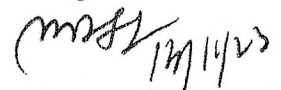


अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-372/2012 2448

/पटना, दिनांक :- 14.11.23

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव